न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/125/2021	08–10–2021	23–08–2022

01– दाताराम पुत्र गोकल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बबेरा तहसील बानसुर जिला अलवर।

अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

02– पटवारी हल्का ग्राम बुटेरी तहसील बानसूर जिला अलवर (राज0)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर दिनांक 28.07.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 88/2017

उपस्थितः–

01–श्री राजेश गुप्ता –वकील अपीलाण्ट

01–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 28.07.2017 प्रकरण संख्या 888/2017 जिसके द्वारा सम्वत 2074 में अपीलान्ट को ग्राम बबेरा तहसील बानसूर की आराजी खसरा नम्बर 644 रकबा 4.36 है0 में से 300 वर्ग मीटर एंव 525 रकबा 2.80 है0 किस्म चारागाह में से 0.13 है0 में पक्का मकान/बाजरा की फसल काश्त करने/ अवैध कब्जा किये जाने पर की गई बेदखली/पैनल्टी से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहत अदालत के समक्ष पटवारी हल्का बुटेरी द्वारा आराजी खसरा न0 644 रकबा 4.36 है0 300 मीटर भूमि में पक्का मकान /खसरा न0 525 रकबा 2.80 है0 में से 0.13 है0 बाजरा की फसल काश्त करने/ अनाधिकृत रूप से कब्जा किये जाने पर रिपोर्ट पेश की गयी जिस पर धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया तथा प्रकरण में दिनाक 28.07.2017 को आलोच्य निर्णय पारित करते हुये अपीलान्ट को अतिक्रमी धोषित किया जाकर आराजी जेर तजबीज से तत्काल बेदखल किया जाने व शास्ती कायम किये जाने का पारित किया गया है। अपीलान्ट के दादा स्व0 सवाई पुत्र हरनाथ गुर्जर को ग्राम पंचायत बुटेरी द्वारा रिहायशी भू0 खण्ड का पटटा दिनाक 26.11.1979 को जारी किया गया था, जिस बावत अपीलान्ट के दादा सवाई सिंह से 150/रू0 दिनाक 08.11.1979 को ग्राम पंचायत बुटेरी द्वारा जमा करते हुऐ रसीद संख्या 10 जारी की गयी थी, अपीलान्ट के दादा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

स्व0 सवाई उक्त भू0 खण्ड पर पूर्वजो के समय से अर्थात रियासतकालीन समय से आवासीय मकान बनाकर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते थे, जिसका पटटा दिनाक 26.11.1979 को ग्राम पंचायत बुटेरी द्वारा अपीलान्ट के दादा सवाई को जारी किया गया जिस पटटे में रिहायशी भूखण्ड की पैमाईश जमीन पूर्व पश्चिम 48 गज, उत्तर दक्षिण 25 गज कुल 1200 वर्गगज दर्ज है। वर्ष 1979 में ग्राम ववेरा की ग्राम पंचायत बुटेरी थी, वर्तमान में बबेरा पृथक से ग्राम पंचायत बन गयी है। ग्राम पंचायत ववेरा के संरपच द्वारा दिनाक 28.12.2017 को लैटरपेड पर पत्र जारी किया गया है, कि रिहायशी मकान का पटटा ग्राम पंचायत बुंटेरी द्वारा जारी किया गया है। जिस पर अपीलान्ट व उसका अन्य भाई रिहायशी रखे हुए है।_तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय जारी करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को उक्त तथ्यो को प्रकट करने एवं साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर नही दिया गया है, अदालत द्वारा पारित आदेश एक पक्षीय कार्यवाही कर पारित किया गया है, पारित आदेश की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनाक 26.12.2017 को उस समय हुई जब पटवारी हल्का अपीलान्ट के रिहायशी मकान को तोडे जाने बावत आदेश की जानकारी दी गयी जिस पर अपीलान्ट ने तुरन्त अपने अधिवक्ता से सर्म्पक कर आलोच्य आदेश की नकल वास्ते आवेदन दिनाक 27.12.2017 को प्रस्तुत किया गया जिस पर नकल दिनाक 02.01.2018 को प्राप्त हुई जिस पर यह अपील नेकनियति से पेश की जा रही है। आलोच्य आदेश दिनाक 28.07.2017 से आदेश की जानकारी दिनाक 26.12.2017 तक का समय लाईल्मी होने के कारण कण्डोन फरमाये जाने योग्य है। इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम का पेश कर अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जावे तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 28.07.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा न0 644 व खसरा न0 525 किस्म चारागाह की आराजी है, जिस पर किसी को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नही है, अवैध कब्जा किये जाने पर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए अतिकमी को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने व पैनल्टी कायम की गई है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजीयात पर अपीलान्ट के दादा स्व0 सवाई पुत्र हरनाथ गुर्जर को ग्राम पंचायत बुटेरी द्वारा रिहायशी भू0 खण्ड का पटटा दिनाक 26.11.1979 को जारी किया गया था, जिस बाबत अपीलान्ट के दादा सवाई सिंह से 150/रू0 दिनाक 08.11.1979 को ग्राम पंचायत बुटेरी द्वारा जमा करते हुऐ रसीद संख्या 10 जारी की गयी थी, अपीलान्ट के दादा स्व0 सवाई उक्त भू0 खण्ड पर पूर्वजो के समय से अर्थात रियासतकालीन समय से आवासीय मकान बनाकर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते थे, जिसका पटटा दिनाक 26.11.1979 को ग्राम पंचायत बुटेरी द्वारा अपीलान्ट के दादा सवाई को जारी किया गया तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय जारी करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को उक्त तथ्यो को प्रकट करने एवं साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर नही दिया गया है, अदालत द्वारा पारित आदेश एक पक्षीय कार्यवाही कर पारित किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का बुटेरी तहसील बानसूर द्वारा दिनांक 01.07.2017 को सम्वत 2074 में आराजी खसरा न0 644 रकबा 4.36 किस्म चारागाह की भूमि में 300 वर्गमीटर में पक्का मकान व आराजी खसरा न0 525 रकबा 0.13 हे0 में बाजरा की फसल काश्त कर अवैध कब्जा करने पर पेश की गयी। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिकमी को धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

दिनाक 28.07.2017 को तलब किया गया। अतिक्रमी को जारी नोटिस स्वयं दाताराम को दिनाक 25.07.2017 को तामील होकर बाद तामील तहत अदालत को प्राप्त हुआ अतिक्रमी बावजुद सूचना के तहत अदालत में उपस्थित नही हुआ। यह कहना गलत है, कि तहत अदालत द्वारा बिना सुने निर्णय पारित किया है। वर्णित आराजीयात की किस्म चारागाह है, जो धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है। जिस पर अतिक्रमण किये जाने का किसी को कोई अधिकार नही है। तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर विधिसम्मत दिनाक 28.07.2017 को निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय की पालना में तहत अदालत द्वारा फर्द नीलामी/बेदखली पर्चा मौका की कार्यवाही की गयी है। पारित निर्णय न्यायोचित प्रक्रियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.07.2017 यथावतः रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

सुनाया गया। निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में

23.08.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)